दिनांक 12.11.2012 को श्रमायुक्त, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता मे श्रम सेवा सामान्य एवं श्रम सेवा तकनीकी के पदाधिकारियो के साथ सम्पन्न मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

सर्वप्रथम बैठक में अनुपस्थित सहायक श्रमायुक्त, जमशेदपुर एवं श्रम अधीक्षक, घाटो/पाकुड़/हजारीबाग/साहेबगंज से स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेशित किया गया। तदोपरान्त श्रम अधिनियमों के अधीन किए गए कार्यों की समीक्षा पदाधिकारी वार किए गए।

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अधीन वार्षिक विवरणी/रिपोटर्स दाखिल नहीं करने पर सहायक श्रमायुक्त, राँची एवं श्रम अधीक्षक, राँची के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेशित किया गया। सभी पदाधिकारियों की निजी संचिका श्रम पथ (मुख्यालय) में संधारित करने का निदेश दिया गया। दायर वादों के निष्पादन हेतु कैम्प कोर्ट नहीं करने पर इसे गम्भीरता से लिया गया। पूर्व की बैठक की कार्यवाही को गम्भीरता से नहीं लेने पर रिपोर्ट करने हेतु निदेशित किया गया/नियोजक/प्रतिष्ठान से श्रम अधिनियमों के अधीन वार्षिक विवरणी/रिपोर्टस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नोटिस जारी करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। वार्षिक विवरणी/रिपोटर्स की समीक्षा नहीं करने के लिए उप श्रमायुक्त, राँची के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया।

श्रम अधीक्षक लोहरदगा के द्वारा विवरणी/रिपोटर्स दाखिल नहीं करने वाले नियोजक/प्रतिष्ठान के विरूद्ध समीक्षोपरान्त अभियोजन दायर करने के लिए श्रम अधीक्षक, खूँटी को निदेश दिया गया। साथ ही वार्षिक विवरणी/रिपोर्टस दाखिल नहीं करने वाले नियोजक/प्रतिष्ठान के विरूद्ध 30 नवम्बर तक अभियोजन दायर करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

श्रम अधीक्षक, पलामू एवं गुमला के स्तर से नियोजक/प्रतिष्ठान द्वारा वार्षिक विवरणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके विरूद्ध नोटिस निर्गत नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही नियोजक के विरूद्ध कितने अभियोजन दायर हुए हैं एतदसंबंधी सूची अगले मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रस्तुत करेंगे। अनिबंधित प्रतिष्ठानों का निबंधन कराने हेतु विज्ञापन निकालने एवं प्रखण्ड स्तर से जिला स्तर तक सूचना प्रसारित कराने का निदेश दिया गया। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

श्रम अधीक्षक, लातेहार को नियोजक से वार्षिक विवरणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके विरूद्ध नोटिस जारी करते हुए अभियोजन दायर करने का निदेश दिया गया। श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक के सहयोग से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के द्वारा अनिबंधित प्रतिष्ठानों का निबंधन कराने के लिए सभी श्रम अधीक्षक को निदेशित किया गया।

श्रम अधीक्षक, गढ़वा को श्रम अधिनियमों का पूर्ण जानकारी रखने हेतु निदेशित किया गया। श्रम अधीक्षक, धनबाद द्वारा प्रतिष्ठान से बगैर वार्षिक विवरणी प्राप्त हुए नवीकरण करने पर आपत्ति जताया गया। पुराने प्रपत्रों को बदलकर नए प्रपत्र में प्रतिवेदन देने के लिए सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक एवं अन्य पदाधिकारियों

Atte...ed
A. K. DWIVEDI
NOTARY, LATEHAR

10

को अंतिम चेतावनी दिया गया। बैठक की कार्यवाही फैक्स से नहीं भेजने के कारण प्रेषण एवं निगत शाखा के कार्यवाहक से स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया।

सहायक श्रमायुक्त, बोकारो धनबाद के कार्यों की समीक्षा के क्रम में विभागीय बैठक के पूर्व प्रतिवेदनों की समीक्षा कर लेने हेतु निदेशित किया गया। श्रम अधीक्षक, रामगढ़ को वार्षिक विवरणी/रिपोर्ट नहीं दाखिल करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया। सहायक श्रमायुक्त, गिरिडीह के कार्यों की समीक्षा नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए समीक्षा करने का निदेश उपश्रमायुक्त, हजारीबाग को दिया गया। सभी निर्धारित प्रतिष्ठानों का भी जाँच करने का निदेश दिया गया। संयुक्त श्रमायुक्त (मुख्यालय) प्रमण्डलान्तर्गत पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा किया करेंगे।

श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी किन-किन श्रम अधिनियमों में निरीक्षक की शक्ति प्रदत्त है एतद् संबंधी प्रतिवेदन के साथ दिनांक 07.12.2012 को निर्धारित बैठक में भाग लेने हेतु उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर को निर्देशित किया गया। श्रम अधीक्षक, बोकारो/चाईबासा/सरायकेला/देवघर/गोड्डा सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक विवरणी/रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए विवरणी दाखिल नहीं करनेवाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध अभियोजन की क्रिया पूरी करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अधीन निरीक्षण करने की वृत्ति प्रायः सभी स्तर से छोड़ दिया गया है। इसलिए सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त को भी निरीक्षण करने का देश दिया गया।

दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के अधीन समीक्षा के क्रम में उप श्रमायुक्त, रांची/सहायक ायुक्त, रांची अधिनियमवार कार्यों का आवंटन करेंगे तथा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों से सर्वेक्षण का कार्य कराने हेतु शित किया गया। सहायक श्रमायुक्त, डालटेनगंज द्वारा किए गए कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया। श्रम ीक्षक, रांची को वार्षिक विवरणी/रिपोर्ट दाखिल नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नोटिस निर्गत करने हेतु ेशित किया गया। नियोजक/प्रतिष्ठान से वार्षिक विवरणी/रिपोर्टर्स ससमय दाखिल करने के निमित्त चेम्बर ऑफ र्स एवं बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को अपने स्तर से सूचित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इसके लिए विज्ञापन के प से भी प्रसारित करने का निदेश दिया गया।

श्रम अधीक्षक, लोहरदगा के कार्यों की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि शून्य श्रमिक वाले ानों को अलग-अलग रखा जाय। श्रम अधीक्षक, सिमडेगा से साईकिल बांटने के संबंध में जानकारी देने हेतु ा किया गया। इस कार्य को श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी से कराने हेतु निदेशित किया गया। श्रम अधीक्षक, पलामू/लातेहार/गढ़वा द्वारा किए गए कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए दाखिल वार्षिक विवरणी/रिपोर्टर्स रणी मासिक प्रतिवेदन में देने हेतु निदेशित किया गया। उप श्रमायुक्त, बोकारो के स्तर से निरीक्षण कराने हेतु किया गया। सहायक श्रमायुक्त, धनबाद द्वारा समीक्षा नहीं करने के कारण असंतोष जताया गया।

Attested
A. K. DWIVEDI
NOTARY, LATEHAR

कतिपय पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2511 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया, ताकि निरीक्षण की बाध्यता समाप्त हो सके। विभागीय अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त श्रमायुक्त को निदेशित किया गया। विभागीय अधिसूचना पर उप श्रमायुक्त, राँची/हजारीबाग/उप श्रमायुक्त, अनुश्रवण (मुख्यालय)/सहायक श्रमायुक्त, राँची/श्रम अधीक्षक, धनबाद एवं एक श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी से संयुक्त मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।/

ठेका श्रमिक (वि० एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं इसके अन्तर्गत बनी नियमावली, 1972 का अनुपालन/कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। सभी सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, (मुख्य नियोजक) जो अपना कार्य संविदक के माध्यम से ठेका श्रमिक नियोजित करते है या कराना चाहते है, उन्हें अधिनियम की धारा-7 के तहत निबंधन कराना अनिवार्य है।

निबंधन के उपरान्त मुख्य नियोजक के रूप में प्रतिष्ठान/स्थापना में संविदक पंजी रखेंगे, जिसमें संविदक का नाम/पता, उनका कार्य स्थल, कार्य प्रकृति, नियोजित किए जाने वाले कामगारों की संख्या, कार्यारम्भ एवं कार्य की समाप्ति तिथि अंकित होना चाहिए और इससे संबंधित वार्षिक विवरणी- 82 (2) निबंधन पदाधिकारी को समर्पित करना है।

अधिनियम की धारा- 12 (1) (नियम-21) के अधीन मुख्य नियोजक अपना कार्य सम्पादित करने के लिए संविदक को नियुक्त करेगा और संविदक को कार्यादेश देने के उपरान्त उनसे लाइसेंस अपेक्षा कर सकेगा। लाइसेंस हेतु संविदक को फारम-V निर्गत करेगा जिसे संविदक आवेदन पत्र फारम-IV के साथ संलग्न कर विहित शुल्क राशि के साथ लाइसेंस पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लाइसेंस पदाधिकारी उक्त आवेदन पर नियमानुसार विचार करेगा या जो उसे विधि सम्मत प्रयुक्त हो, इस प्रक्रिया का अनुपालन कर लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई करेगा तथा सब कुछ नियम संगत पाये जाने पर फारम-VI में लाइसेंस निर्गत करेगा।

नियम- 21 (2)- "Every application for the grant of licence shall be accompanied by a ertificate by the principal employer in from-v to the effect that the applicant has been employed y him as a contractor in relation to his establishment and that he undertake to be bound by all the rovisions of the Act and the rules under there under in so for as the provisions are applicable to m as principal employer in respect of the employment of contract labour by the applicatn."

स्पष्ट है कि मुख्य नियोजक द्वारा कार्यादेश दिये जाने के उपरान्त की फारम- V निर्गत करना है ताकि लेंस में कार्यस्थल और कार्य प्रकृति तथा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या दर्ज की जा सके।

नियम- 25 (VIII) सभी संविदक कार्यारम्भ की सूचना सात दिनों के अन्दर लाइसेंस पदाधिकारी/निरीक्षी पेकारी को देंगे।

Attested
A. K. DWIVEDI
NOTARY, LATEHAR

12

नियम- 76 संवेदक द्वारा कार्यारम्भ करने, श्रमिकों को नियोजित करने के उपरान्त श्रमिकों को नियोजन कार्ड देना है।

नियम- 82 (1) संवेदक अर्द्धवार्षिक विवरणी सभी सुसंगत कागजात (यथा- भुगतान पंजी के साथ लाइसेंस पदाधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे।

यदि प्रतिष्ठान/मुख्य नियोजक द्वारा अपने-अपने कर्मियों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत बोनस भुगतान करते हैं तो यह ठेका श्रमिकों को भी समान रूप से देना अनिवार्य है।

मुख्य नियोजक का यह भी दायित्व होगा कि संवेदक को फारम- V निर्गत करने के समय ही उसका कार्यादेश की एक प्रति (उक्त कार्य की प्राक्कलित राशि की ब्योरा सहित) लाइसेंस पदाधिकारी को भी प्रेषित करेंगे। जब तक कार्यादेश की प्रति मुख्य नियोजक द्वारा लाइसेंस पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तब तक उनके द्वारा निर्गत फारम- V विचारणीय नहीं होगा। नवीकरण हेतु भी कार्यादेश विगत अवधि में कार्य कराने संबंधी ब्योरा, वार्षिक विवरणी, श्रमिकों को दिये गये नियोजन कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। पूर्व के निर्गत लाइसेंस में यदि कार्यस्थल में यदि कार्य स्थल, कार्य प्रकृति का उल्लेख नहीं है तो वह नवीकरण योग्य नहीं होगा।

तदनुसार उपरोक्त नियमावली को कड़ाई से पालन कराने हेतु निदेशित किया गया। कारखाना में भी कार्यरत ठेकेदार को लाइसेंस की जाँच करने हेतु सभी कारखाना निरीक्षक को निदेशित किया गया। साथ ही, लगन से कार्य करने का निदेश दिया गया। अभियोजन प्रभावशाली होना चाहिए। हर पहलुओं पर जाँच कर अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समीक्षा के क्रम में सभी पुराने दावर वादों को त्वरित निष्पादन कराने हेतु निदेशित किया गया। कैम्प कोर्ट करके भी वर्ष 2011-12 तक के सभी दावरवादों का मार्च, 2013 क अवश्य निष्पादन हो जाना चाहिए। साथ ही प्राधिकार का ढाँचा तैयार करने हेतु निदेशित किया गया। सहायक ायुक्त, कृषि श्रमिक, हजारीबाग के न्यायालय में दावर वादों की गठन समीक्षा की गई। सी०पी०सी० के प्रावधानों के ोक में सम्मन भेजने का भी परामर्श दिया गया।

वेतन भुगतान अधिनियम के तहत समय से वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया इसके निमित संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। साथ असंगठित सेक्टर में भी वेतन का भुगतान समय पर होना ा एकाउन्ट पे के माध्यम से भुगतान पर बल दिया गया तथा श्रमिकों को सेवा कार्ड दिलाने का भी निदेशित गया।

बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन बोनस भुगतान नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को चिन्हित करने का देया गया। कारखाना में संयुक्त रूप में जाँच करने का निदेश कारखाना निरीक्षणालय को दिया गया।

Attested
A. K. DWIVEDI
NOTARY, LATEHAR

उपादान भुगतान अधिनियम के अधीन वाद दायर नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए वाद नहीं होने के कारणों की जानकारी देने हेतु निदेशित किया गया।

बाल श्रम (प्रति० एवं उन्मूलन) अधिनियम के अधीन बोर्ड लगाने की विषय पर चर्चा हुई। मिठाई की दुकान/ढाबा में भी बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया। बाल श्रमिक की बहुलता वाले क्षेत्रों में बोर्ड लगा होना चाहिए। बस स्टैण्ड/रेलवे के इर्द-गिर्द में दुकान/ढाबा में भी बोर्ड लगा हुआ रहना चाहिए। इसके लिए चेम्बर ऑफ कॉमर्स को नोटिश निर्गत करेंगे।

पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तर पर बाल श्रम मुक्त होने संबंधित बोर्ड लगा होना चाहिए। पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के साथ बाल श्रम मुक्त से संबंधित बैठक आयोजन करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सभी जन प्रतिनिधियों से बाल श्रम मुक्त संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रखण्ड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। यह अभियान दिसम्बर में चलाया जाय। आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अवश्य हो जाना चाहिए। राशि घटने पर और राशि का आवंटन किया जायेगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के सहयोग से उन्मूलन का कार्य सम्पादित करेंगे।

कारखाना निरीक्षक को निदेशित किया गया कि वे दायर अभियोजनों पर बैठे नहीं रहे बल्कि उसके निष्पादन कराने के दिशा में पहल करेंगे। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन दायर वादों का ब्रेक-अप रिपोर्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक समर्पित करेंगे। नवम्बर, 2011 में घटित घटना की जानकारी देने हेतु कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर को निदेश दिया गया। खरसांवा अंचल- 2 में घटित घटना की जानकारी देने का निदेश कारखाना निरीक्षक, खरसांवा को दिया गया। बोकारो अंचल में घटित घटना अक्टूबर, 2012 की है जिसपर जाँच नहीं करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जमशेदपुर अंचल में घटित घटनाओं पर जाँच नहीं करने पर कड़ा आपत्ति जताते हुए अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया। बोकारो अंचल- 2 के प्रतिवेदन पर असंतोष व्यक्त किया गया। राँची अंचल- 1 में एच०ई०सी० के मामला की समीक्षा कर प्रतिवेदन देने हेतु निदेश दिया गया।

वाष्पित्र निरीक्षणालय द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा की गई। अप्रेन्टिस को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु बोर्ड गठन संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपस्थापित करने का निर्देश संयुक्त श्रमायुक्त को दिया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध करने हेतु छूटे सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में बेडों की सूची फसलॉज को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है, ताकि लाभुकों को सुविधा मुहैया कराया जा सके। 28 फरवरी, 2013 तक सभी लाभुकों को पुराने कार्ड पर ही स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मुहैया कराया जाय। हर जिले में मासिक बैठक करने के लिए बैठक की तिथि निर्धारित करने का निदेश दिया गया।

जिला स्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही को समीक्षात्मक बैठक में लाने का निदेश दिया गया। D.P.M की समीक्षा बैठक करने हेतु सभी D.C को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया। राँची/सरायकेला/पलामू/

Meeting

Attested
A. K. DWIVEDI
NOTARY, LATEHAR

प्रखण्ड स्तर पर सहिया एवं सेविका को R.K.O के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया। दो-दो लाख रूपये का आवंटन सभी जिलों को देने हेतु निदेशित किया गया।

B.O.C.W के अधीन समीक्षा के क्रम में अनियोजित श्रमिकों का जमघट चौक-चौराहों पर नहीं रहना चाहिए। साईकिल-वितरण की समीक्षा की गई। वितरण किए गए साईकिलों एवं सिलाई मशीन में B.O.C.W लिखा हो जाना चाहिए।

विविध समस्याएँ- श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक, धनबाद में कर्मचारी की कमी की समस्या का उल्लेख किया गया। इस पर श्री सुशील कुमार सिंह, समाज आयोजक, देवघर को धनबाद में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। रामगढ़ में भी एक कर्मी की प्रतिनियुक्त करने का मामला उठाया गया। श्रीमति सुशाना जयमाला टोप्पो, लिपिक, कोडरमा को सहायक श्रमायुक्त कृषि श्रमिक, हजारीबाग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का ईक्यूपिंग एवं सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत कारखाना निरीक्षक, सरायकेला-खरसांवा अंचल- 2 के द्वारा उन्हें अन्य प्रशासनिक ईकाई एवं ईंधन एवं मरम्मति ईकाई में आवंटन नहीं दिये जाने का मामला उठाया गया। उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, राँची द्वारा कम आवंटन दिये जाने के मामले में निदेशित किया गया कि बजट आवंटन सहायक आवंटन की समीक्षा करावें। न्यूनतम मजदूरी मद में वेतन नहीं निकालने की जाँच हेतु निदेशित किया जाय। जिस जिले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नहीं है वहाँ-वहाँ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में वार्षिक विवरणी रिपोटर्स प्रावधानित श्रम अधिनियमों के अधीन वार्षिक विवरणी के साथ आगामी समीक्षात्मक बैठक में लाने का निदेश देते हुए बैठक की कार्यवाही धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह०/-
(सुनील कुमार वर्णवाल)
श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-2/ श्रमा०का०(बैठक)-105/2011 श्र०नि०..2178.....राँची, दिनांक 26.1.0.1.12

प्रतिलिपिः-संयुक्त श्रमायुक्त, मुख्यालय/सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, झारखण्ड, धनबाद/सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक सहित/सभी कारखाना निरीक्षक/सभी वाष्पित्र निरीक्षक/सचिव, बाल श्रमिक आयोग/सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड/स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/अवर सचिव, (श्रम पक्ष) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी सहायक/सभी कार्यवाह सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Attested
A. K. DWIVEDI
NOTARY, LATEHAR

26/11/12
(सुनील कुमार वर्णवाल)
श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची।

Meeting

15